

कार्यालय अपील अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (जिला कलक्टर) बॉसवाड़ा (राज.)

क्रमांक :- एफ () वाचक/अपील 13/2020/ 532

दिनांक :- 20/11/2020


लोक सूचना अधिकारी
(ए.डी.एम.) बॉसवाड़ा

लोक सूचना अधिकारी
(एस.डी.एम.) बॉसवाड़ा

अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1) के तहत अपील प्रस्तुत कर उनके प्रार्थना-पत्र दिनांक 04-09-2020 द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने के कारण यह प्रथम अपील प्रस्तुत की है।


पत्रावली के अवलोकन से पाया गया की अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बॉसवाड़ा द्वारा उनके पत्रांक एफ 40(4) न्याय/2017/7223 दिनांक 17.09.2020 से प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 की उप धारा 3 के तहत उपखण्ड मजिस्ट्रेट बॉसवाड़ा को स्थानान्तरित किया गया है। एवं लोक सूचना अधिकारी (एस.डी.एम.) बॉसवाड़ा के पत्रांक 3326 दिनांक 25-09-2020 से प्रकरण में सूचना जरिये रजिस्टर्ड पोस्ट से अपीलार्थी को उपलब्ध करवाई गई है। किन्तु अपीलार्थी को पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई है।

अतः अपीलार्थी को 15 दिवस में पूर्ण सूचना निःशुल्क उपलब्ध कराते हुए इस न्यायालय को सूचित किया जावे।


(अंकित कुमार सिंह)
अपील अधिकारी
(जिला कलक्टर) बॉसवाड़ा

प्रतिलिपि -

श्री सुरेन्द्र कुमार सोनी निवासी मदारेश्वर रोड, मधुवन कोलोनी, गौशाला के पिछे बॉसवाड़ा (राज.)


अपील अधिकारी
(जिला कलक्टर) बॉसवाड़ा